06.03.24 प्रार्थीया कान्ता देवी द्वारा जरिए वकील श्रीमती मंजू गुप्ता एक प्रार्थना पत्र बाबत आज की पेशी में पत्रावली लिये जाने पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थीया द्वारा जरिए वकील निवेदन किया गया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 177 आर.टी.ए. प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में उक्त रकबा को संपरिवर्तन किये जाने बाबत प्रस्तुत कर रखा है। प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण आज ही प्रकरण में सुनवाई की जावे एवं निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थी द्वारा जवाब 177 आर.टी.ए., प्रार्थी स्वयं का नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, नगर विकास न्यास में कन्वर्जन शुल्क जमा करवाये जाने की रसीद, प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र बाबत जल्द से जल्द कन्वर्जन करवाये जाने बाबत पेश किया किया गया। प्रार्थी द्वारा जरिए वकील जवाब पेश किया गया जिमसें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीया के द्वारा उक्त भूमि कन्वर्जन करवाने के लिए धारा 90 में फीस भी जमा करवाई जा चुकी है और उसके बाद प्रार्थीयसा के पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और प्रार्थीया उक्त कार्यवाही को आगे नहीं बढा सकी और समस्त तथ्यों की जानकारी प्राथी को भलीभांति थी इसके बावजूद प्रार्थी के द्वारा उक्त कार्यवाही गलत तथ्यों के आधार पर की गई और बाद में उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अप्रार्थीया कार्यवाही को अगे नहीं बढ़ा सकी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जावे ताकि प्रार्थी भूमि को संपरिवर्तन करवा सके।

बहस प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किए कि उपरोक्त वर्णित रकबा को कृषि भूमि से गैरकृषि भूमि में रूपान्तरित करवाने हेतु प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 01.10.2021 को 2,76,962.00 रूपये की राशि जमा करवा दी गई है जिस बाबत कार्यवाही सक्षम कार्यालय में विचाराधीन है। वर्णित कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित कराने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में रकम जमा करवा दी है। किस्म परिवर्तन के प्रार्थना पत्र एवं रकम जमा करवाने के पश्चात् प्रार्थी के पति का स्वास्थय खराब हो गया जिससे कारण प्रार्थीया उक्त भूमि को संपरिवर्तन नहीं करवा सकी। अब प्रार्थीया उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवाना चहती है। अब कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाने की औपचारिकता शेष है। धारा 177 आर.टी.ए. के तहत विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य मे परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए न्यायहित में धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही मुझ अप्रार्थी के खिलाफ समाप्त की जावे। अप्रार्थी राज्य सरकार को राजस्व जमा करवा कर संपरिवर्तन करवाना चाहता है। इस सूरत में प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध अन्य आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमावे। स्टेट जरिए तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा [illegible] भूमि के [illegible] नगर विकास न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु जब त[illegible] रूपान्तरण नहीं हो जाता तब तक अप्राथी कृषि [illegible] सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू–रूपान्तरण करवाये जाने बाबत नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, नगर विकास न्यास में कन्वर्जन शुल्क जमा करवाये जाने की रसीद, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि. श्रीगंगानगर की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन नगर विकास न्यास के यहां प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। अप्रार्थी का यह तर्क पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है कि कोविडजन्य परिस्थितियों के कारण भूमि को संपरिवर्तित नहीं करवाया जा सका। अप्रार्थी को पूर्व में भी संपरिवर्तन हेतु समय दिया जा चुका है। परन्तु इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र बाबत जल्द से जल्द कन्वर्जन करवाये जाने बाबत पेश किया जा चुका है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थी कान्ता देवी पत्नी किशन कुमार इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner